

प्रेषक,

अनूप मिश्र,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2011

**विषय :- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 2008 के पंचम प्रतिवेदन पर लिए गए निर्णयानुसार श्री राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

**1-यात्रा की अधिकृत श्रेणी :-**

(अ)-पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ अब वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी ---

क०सं०	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	वेतनमान रू० 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79,000 तथा एच०ए०जी० व उससे अधिक वेतनमान	वायुयान का एकजीक्यूटिव क्लास
2	ग्रेड वेतन रू० 10,000 तथा 8900	वायुयान का एकोनॉमी क्लास/रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास
3	ग्रेड वेतन रू० 8700 तथा 7600	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 किमी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकोनॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एकजीक्यूटिव क्लास
4	ग्रेड वेतन रू० 6600 तथा 5400	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/टू टियर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान
5	ग्रेड वेतन रू० 4800, 4600 तथा 4200	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (थ्री टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6	ग्रेड वेतन रू० 4200 से कम	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

(ब)(i)-ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु वे समस्त शासकीय सेवक अधिकृत होंगे जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष सरकारी सेवक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब)(ii)-रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमत्य की जायेगी कि कुल किराया संबंधित कर्मचारी की अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

(स)-विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु सरकारी सेवकों की वायुयान से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी ---

क0सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	रू0 90,000 नियत तथा रू0 80,000 नियत वेतनमान	वायुयान की प्रथम श्रेणी
2	वेतनमान रू0 67,000--वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से--79,000	वायुयान की बिजनेस/क्लब क्लास
3	शेष अन्य सरकारी सेवक	वायुयान की एकान्तोमी/सामान्य श्रेणी

### 2-आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज)

(I)-वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(1) के अंतर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की दरें अब निम्नानुसार होंगी :-

क0सं0	ग्रेड वेतन	आनुषंगिक व्यय
1	2	3
1	ग्रेड वेतन रू0 5400 व अधिक तथा उच्च वेतनमान	35 पैसे प्रति किलो मीटर
2	रू0 4800, रू0 4600, रू0 4200 तथा रू0 2800	25 पैसे प्रति किलो मीटर
3	रू0 2800 से कम	15 पैसे प्रति किलो मीटर

(II)-वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण उक्त प्रावधान समाप्त किए जाते हैं।

### 3-दैनिक भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दरें निम्नवत् होंगी ---

क0 सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	दैनिक भत्ते की दरें (रू0)		
1	2	3	4	5
		'क' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कॉन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी--कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली गोरखपुर, मेरठ, नोयडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद	'ख' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कॉन्टोनमेण्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी--मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजाफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	साधारण दर (स्तम्भ-3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए)
1	रू0 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300
2	रू0 7600, रू0 6600 तथा रू0 5400	420	330	270
3	रू0 4800 व 4600	360	285	240

4	रु० 4200 तथा रु० 2800	300	240	195
5	रु० 2800 से कम	195	150	120

(क)—उपरोक्त तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित 'क' वर्ग के नगरों में रु० 5400 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :-

क०सं	ग्रेड वेतन/वेतनमान	विशेष दैनिक भत्ते की दरें (रुपये में)
1	2	3
1	ग्रेड वेतन रु० 8700-व अधिक तथा उच्च वेतनमान	1200
2	ग्रेड वेतन रु० 7600, रु० 6600 तथा रु० 5400 तक	900

(ख)—उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेश के सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे जो उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्संबंधी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उ०प्र० राज्य, संबंधित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/संस्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

(ग)—महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ के कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य तथा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में शासकीय मुकदमों की पैरवी से संबंधित कार्य हेतु इलाहाबाद/लखनऊ जाने वाले सरकारी सेवकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही है। उक्त अतिरिक्त दैनिक भत्ते की दर अब रु० 100/- प्रतिदिन होगी।

#### 4—सड़क मील भत्ता

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गयी यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी—

(1)—रुपये 6600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :-

(क)—मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 किमी० तक की गयी सड़क यात्राओं के लिए :-

क०सं०	यात्रा की दूरी	रुपये प्रति कि०मी०	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1	प्रथम 500 किमी० तक	10.00	7.50
2	500 किमी० से अधिक परन्तु 1200 किमी० तक	7.00	5.50

(ख)—उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साईकिल/स्कूटर इत्यादि से की गयी सड़क यात्राओं के लिए।

रु० 5.00 प्रति किमी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 1,000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(ग)—पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए

रु० 1.80 प्रति किमी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(11)—रु0 6,600 प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :-

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गयी सड़क यात्राओं के लिए*	रु0 5.00 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 1,000 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गयी सड़क यात्राओं के लिए	रु0 1.80 प्रति किमी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 360 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(111)—अल्प दूरी के यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिए वास्तविक दूरी के आधार पर अब सरकारी सेवकों को रु0 10.00 प्रति किमी0 की दर से सड़क मील भत्ता देय होगा।

### 5—स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

सरकारी सेवकों को जनहित में किए गए उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिए स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार होगी :-

#### (क)—घरेलू सामान की ढुलाई —

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :-

#### (1)—यात्रा यदि परिवार सहित की गयी हो :-

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखी जायेगी —

क्र0सं0	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए अनुमन्य अधिकतम सीमा
1	2	3
1	रु0 5400 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	6000 कि0ग्रा0 या 4 पहियों का एक वाहन
2	रु0 4800 तथा रु0 4600	3000 कि0ग्रा0
3	रु0 4200 तथा रु0 2800	2500 कि0ग्रा0
4	रु0 2800 से कम	1250 कि0ग्रा0

#### (11)—यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :-

यदि स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम देय होगा।

#### (ख)—एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट)/पैकिंग भत्ता

सरकारी सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर

स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनी रहेगी :-

(I)- जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में संबंधित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

(II)- जनहित में एक जिले के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :-

क्र० सं०	ग्रेड वेतन/वेतनमान	पैकिंग भत्ते की दर (रु०)
1	2	3
1	रु० 4200 ग्रेड वेतन तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	रु० 1500/-
2	रु० 4200 से कम ग्रेड वेतन	रु० 750/-

2- यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

भवदीय,  
प्रमुख (अ)  
( अनूप मिश्र )  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-जी-2-175 (1)/वस-2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,  
बी०के० सिंह  
( बी०के० सिंह )  
विशेष सचिव